ISO 9001:2000 Certified
कार्यालय वास्तुविद नियोजक एवं विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम ,
वसुन्धरा आफिस काम्पलैक्स, सेक्टर–16ए, वसुन्धरा गाजियाबाद।
दूरभाष : 0120–2885632 email : apunit6@indiatimes.com
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अर्न्तगत भवन बनाने हेतु

स्वीकृति पत्र

संख्या : 276/नि0प्रा0– 01/10–11/ वा0नि0–1 गाजि0 दिनांक : 15/4/2011

सेवा में,

श्री जीतेन्द्र तनेजा, डायरेक्टर
मैसर्स जे0एन0सी0 कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0,
जी–128, प्रीत विहार
दिल्ली–92

विषयः उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या 3/GH(SPL-1) वसुन्धरा गाजियाबाद के मानचित्र (2.50 एफ0ए0आर0 के अर्न्तगत) निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में 15 मी0 से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों के मानचित्रों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 22.09.2010 एवं दिनांक 24.1.2011 को सम्पन्न हुई जिसमें आपके प्रकरण पर भी विचार विमर्श हुआ। समिति द्वारा उक्त बैठकों में विचारोपरान्त कतिपय शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया :–

अतः उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में भूखंड के सापेक्ष 2.50 एफ0ए0आर0 के मानचित्र निम्न शर्तों सहित निर्गत किये जा रहे हैं :–

1- प्रथम चरण में यह स्वीकृति केवल ग्राउण्ड के ऊपर एक तल के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है। ग्राउण्ड के ऊपर एक तल की छत पड़ने के पश्चात स्थल से यह पुष्टि हो जाने पर कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया गया है शेष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2- निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
3- स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 15-4-2011से 14-4-2016तक।
4- निर्माण, स्वीकृत मानचित्र लाल पर रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–प्रथम, उ0प्र0 आवास विकास परिषद,गाजियाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
6- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सॅम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
7- रजिस्ट्री के समय मानचित्र में प्रस्तावित किसी भी फ्लैट का सब–डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा तथा वर्तमान मानचित्र में कुल 320 नग फ्लैट्स का निर्माण स्वीकृत किया जा रहा है।
8- यह स्वीकृति 10250.33 व0मी0 के भूखंड पर 2.50 एफ0ए0आर0 के आधार पर प्रदान की जा रही है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
9- भूखंड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
10- Visitors Parking का प्राविधान भूखंड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखंड परिसर के अन्दर ही करना होगा।
11- भूखंड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

12- यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो रहे कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

13- शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

14- शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।

15- समय समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।

16- वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने का प्राविधान भी किया जाना होगा।

17- शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

18- शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तो का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी हैं।

19- निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।

20- मुख्य अग्निशमन अधिकारी,गाजियाबाद के पत्रांक एफ0एस0 31/2011 दिनांक 11,अप्रैल 2011 के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उसके साथ संलग्न मानचित्रों में अंकित अग्निशमन व्यवस्था का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा तथा निर्माण के उपरान्त एवं भवन के उपयोग से पूर्व स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

21- भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (29 नग शीट्स)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (04 नग शीट्स)।
3. स्ट्रक्चरल गणनाओं का एक सैट (पृष्ठ)।
4. अग्निशमन प्राविधानों को दर्शाते हुए CFO Ghaziabad से अनुमोदित मानचित्र (06 नग शीट)।

Mumtaz 15/4/2011

(मुमताज हुसैन)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0: / उक्त / दिनांक:

प्रतिलिपि:1.अधीक्षण अभियन्ता,सप्तम वृत्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–प्रथम उ0प्र0 आवास विकास परिषद,वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र का एक सैट व प्रपत्र–'च' सहित संलग्न प्रेषित।

4. उप आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी